

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमण्डल नरपतगंज (अररिया)
अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या :- 04/2025-26

पत्रांक:

/नरपतगंज,

दिनांक:

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सिंचाई प्रमण्डल, नरपतगंज (अररिया) कार्यालय के कोशी शिविर नरपतगंज स्थित निरीक्षण भवन के साज-सज्जा/रख-रखाव हेतु निम्नांकित उपस्कर क्रय एवं अधिष्ठापन कोटेशन आमंत्रण के माध्यम से किया जाना है। इस कार्य हेतु निबंधित कंपनी/एजेंसी/आपूर्तिकर्ता अपना-अपना दर (कोटेशन) विवरण बंद लिफाफा में प्रमण्डलीय कार्यालय में जमा करना चाहेंगे।

- कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम:- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, नरपतगंज (अररिया)।
- कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 26.02.2026 अपराह्न 3:00 बजे तक।।
- कोटेशन खोलने का स्थान एवं तिथि :- सिंचाई प्रमण्डल, नरपतगंज कार्यालय में दिनांक 26.02.2026 अपराह्न 3:30 बजे,

1. क्रय किये जाने वाले समानों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

S.L No	Supplying Item /Equipment Name	Specificaion	Unit	Rate	Remarks
1	2	3	4		7
1	Refrigerator	244 Ltr, 3 star Invertor Frost Free Cool Shower Technology Single Door Refrigerator Standred Brand	1		
2	Bed	King Size Engineering wood bed with pullout storage	1		
3	Sofa Set	Wooden sofa set 5 Seater Synthetic leather	1		
4	Mattress, Blanket and Bed sheet	Standard Double Bed Mattress (6 inch thick), blanket and Bed sheet	1		

नियम एवं शर्तें:-


- कोटेशन दाताओं को अपना दर अंक एवं अक्षर में प्रति यूनिट उद्धृत करना होगा।
- कोटेशनदाता से अलग-अलग ग्रुप के अनुसार कोटेशन मुहरबंद लिफाफा में प्राप्त किया जायेगा एवं लिफाफे के उपर स्पष्ट ग्रुप का नाम अंकित करना होगा।
- कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अपना जी0एस0टी0 निबंधन एवं पैन कार्ड का स्व0 अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- भुगतान के समय कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा जी0एस0टी0 अधिनियम के अधीन अद्यतन विवरणीयाँ दाखिल करने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोटेशनदाता द्वारा सामग्रीयों की ढुलाई के समय सामान किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होने पर उसकी सारी जवाबदेही कोटेशनदाता की होगी।
- किसी प्रकार का अतिरिक्त ढुलाई देय नहीं होगा।
- सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना सूचना कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- न्यूनतम दरदाता के द्वारा उल्लेखित सामग्री हेतु उद्धृत स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए मान्य होगा।
- सफल कोटेशनदाता के विपत्र से सभी नियामानुकूल कटौतियों की जायगी।
- कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति इकाई उद्धृत दर कोटेशन दिनांक 26.02.2026 अपराह्न 3:00 बजे हाथो-हाथ/निबंधित डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त कोटेशन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

12. कोटेशनदाता/अपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत न्युनतम कोटेशन दर के आधार पर कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा एवं संक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के उपरान्त ही Item wise न्युनतम दर उद्धृत करने वाले कोटेशनदाता को कार्य आवंटित किया जायेगा। उपलब्ध आवंटन एवं आवश्यकता के अनुसार सामग्री की क्य की मात्रा घट या बढ़ सकती है।
13. कोटेशन दर अंकित करने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0 04/2025-26 (विवरणी सहित) की प्रति सिंचाई प्रमंडल, नरपतगंज कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
14. सामाग्रियों/उपस्करों की आपूर्ति कार्यादेश निर्गत होने के 07(सात) दिनों के अन्दर हार हाल में संबंधित निरीक्षण भवन/प्रमंडलीय कार्यालय एवं अवर प्रमंडलीय कार्यालय में करना अनिवार्य होगा।
15. निविदाता का Firm ISO से प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।
16. कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाल उपस्कर/सामग्री निर्धारित मानक/ISO/ISI प्रमाणित एवं गारंटी/वारंटी युक्त होना आवश्यक है।
17. कोटेशनदाता को सामग्रियों का फोटो Specification के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
18. कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता को चरित्र प्रमाण पत्र की स्व0 अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. कोटेशन संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय अथावा मोबाईल सं0 7463889216 पर संपर्क किया जा सकता है। संबंधित कोटेशन को विभागीय साइट www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।


 (ई0 प्रकाश कुमार)
 कार्यपालक अभियन्ता,
 सिंचाई प्रमंडल नरपतगंज (अररिया)

पत्रांक 182 / नरपतगंज, दिनांक 16/02 / 2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इस शुद्धि पत्र को किसी दो समचार पत्रों में प्रकाशन करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा किया जाय।


 (ई0 प्रकाश कुमार)
 कार्यपालक अभियन्ता,
 सिंचाई प्रमंडल नरपतगंज (अररिया)

 16/02/26